संख्या-1/2020/123/43-2-2020

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2020

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को वेब पोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को आॅनलाइन प्राप्त किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) नई दिल्ली द्वारा एक वेब पोर्टल ीजजचेरूध्दतजपवदसपदमण्नचण्हवअण्पद विकसित किया गया है। वर्तमान में सचिवालय के समस्त विभाग व उनके नियंत्रणाधीन प्रमुख विभागाध्यक्ष कार्यालय, समस्त मण्डलायुक्त कार्यालय, समस्त जिलाधिकारी कार्यालय व गृह विभाग के समस्त जोन/मण्डल/जनपद स्तरीय कार्यालय अर्थात् कुल 388 कार्यालय वेब पोर्टल पर आॅनलाइन हो गए हैं। इस व्यवस्था से नागरिकों को उक्त कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आॅनलाइन आवेदन/प्रथम अपील किए जाने की सुविधा प्राप्त हो गई है।

2- वेब पोर्टल में यह व्यवस्था है कि नागरिकों द्वारा किए गए समस्त आॅनलाइन आवेदन/प्रथम अपील लोक प्राधिकरणों में नामित नोडल अधिकारी को प्राप्त होगी। नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्राप्त आवेदन/प्रथम अपील आॅनलाइन अन्तरित किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार वेब पोर्टल पर उपलब्ध प्रक्रियानुसार जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की आई0डी0 एवं पासवर्ड सृजित किए जाने की व्यवस्था है। नोडल अधिकारी द्वारा सृजित किए गए आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से वेब पोर्टल पर लाॅगइन करते हुए जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवेदनों/प्रथम अपीलों का निस्तारण किया जाएगा। सचिवालय स्तर पर स्थित विभागों में नामित नोडल जन सूचना अधिकारी द्वारा इसी व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के आई0डी0 एवं पासवर्ड सृजित किए गए हैं तथा जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों/प्रथम अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है।

3- आॅनलाइन आर0टी0आई0 के एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् समीक्षा में यह पाया गया कि नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में विभागांे/लोक प्राधिकरणों के मण्डलीय व जनपदीय कार्यालयों से सूचना मांगी जाती है अथवा प्रथम अपील की जाती है। विभागों के मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालय आॅनलाइन व्यवस्था से आच्छादित न होने के कारण नागरिकों द्वारा शासन स्तर के विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में मण्डलीय/जनपदीय स्तर की सूचनाओं हेतु आॅनलाइन आवेदन किए जाते हैं। वर्तमान में नोडल अधिकारियों के आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त किए जाने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), नई दिल्ली को नोडल अधिकारियों का विवरण प्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात् एन0आई0सी0, नई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिल्ली द्वारा नोडल अधिकारियों के आई0डी0 एवं पासवर्ड सृजित कर उपलब्ध कराए जाते हैं। विभागों के मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों की संख्या अत्यधिक होने के कारण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि वेब पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा ही अपने नियंत्रणाधीन मण्डलीय व जनपदीय कार्यालयों में नामित जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आई0डी0 व पासवर्ड सृजित किए जा सकते हैं। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वेब पोर्टल पर उपलब्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा ही अपने नियंत्रणाधीन मण्डलीय व जनपदीय कार्यालयों में नामित जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आई0डी0 व पासवर्ड सृजित किए जाएं तथा नागरिकों से प्राप्त आॅनलाइन आवेदन/प्रथम अपील को सम्बन्धित मण्डलों/जनपदों के जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को आॅनलाइन प्रेषित किये जाएं। नोडल अधिकारियों द्वारा जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के आई0डी0 एवं पासवर्ड सृजित किए जाने की प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश, वीडियो एवं हेल्पलाइन नम्बर (0522-4069689, मो0नं0-6307612099) वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन में नोडल जन सूचना अधिकारियों को यदि कोई समस्या आ रही है तो वे कार्यालय दिवस में दरबारी लाल शर्मा भवन, उ0प्र0 सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय में एन0आई0सी0 के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि उनके कार्यालय में नामित नोडल जन सूचना अधिकारियों द्वारा मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों के जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के आई0डी0 एवं पासवर्ड सृजित करते हुए मण्डलों/जनपदों से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों को उनको आॅनलाइन प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:-

1- समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने कार्यालय में नामित नोडल जन सूचना अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि विभाग के मण्डलीय व जनपदीय कार्यालयों में नामित जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के आई0डी0 एवं पासवर्ड वेब पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार सृजित करते हुए मण्डलों/जनपदों से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों को उनको आॅनलाइन प्रेषित करें ताकि नागरिकों से आॅनलाइन प्राप्त आवेदन/प्रथम अपील का निस्तारण जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा वेब पोर्टल पर लाॅगइन करते हुए किया जा सके।

2- समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में नामित नोडल जन सूचना अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे कार्यालय में तैनात अन्य जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के आई0डी0 एवं पासवर्ड सृजित कर उनको उपलब्ध कराएं ताकि नागरिकों द्वारा प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों का निस्तारण सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया जा सके।

3- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in